सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 28, गुरुवार, शाके 1930–अप्रेल 17, 2008

Chaitra 28, Thursday, Saka 1930–April 17, 2008

भाग 1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 15, 2008

संख्या प.11(40)वन/97:–राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 10 (49) रेव/59 दिनांक 7–4–1960 (जो कि राजस्थान राज–पत्र में दिनांक 11–8–1960 को प्रकाशित हुई) के द्वारा आबूपर्वत को दी राजस्थान वाईल्ड एनीमल्स एण्ड बर्डस् प्रोटेक्शन एक्ट, 1951 की धारा 5 में "रिजर्वड एरिया" घोषित किया गया था जो दी राजस्थान ऐन्ट्रेन्स टू दी गेम सैंक्च्यूरीज रूल्स, 1958 के नियम 2 में "सेंक्च्यूरी" (अभयारण्य) परिभाषित है। उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत अभयारण्य की सीमाएं प्रकाशित नहीं होने के कारण विधि सम्मत नहीं माना गया।

चूंकि राजस्थान सरकार, राज्य के सिरोही जिले में स्थित आबूपर्वत की वन भूमि जो कि वन्यजीवों एवम् उनके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवम् विकास के प्रयोजनार्थ पर्याप्त रूप से पारिस्थितिक , प्राणी जात , वनस्पति जात , भू आकृति विज्ञान जात एवम् प्राकृतिक महत्व की है, को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करना चाहती है।

अतः राज्य सरकार पूर्व में जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 7–4–1960 का अधिलंघन करते हुए निम्न आरक्षित वन खण्डों (R.F.) को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 26 A (1) (b) के उपाबन्धों के अधीन वन्यजीव अभयारण्य आबूपर्वत का क्षेत्र घोषित करती है :–

क्र.सं.	नाम आरक्षित वन खण्ड (R.F.)	आरक्षित वन खण्ड घोषित करने की विज्ञप्ति संख्या एवम् दिनांक
1.	आबू नम्बर– 1	ए. 2 (18) राज /8/85 दिनांक 18–7–1985
2.	खण्डेला–आम्बाबेरी	एफ. 7 (134) रा.क./67 दिनांक 20–6–1967
3.	फतेहपुरा–सकोडा	एफ. 7 (126) रा.क./62 दिनांक 11–4–1962
4.	आबूलीज (नगरपालिका माउंट आबू द्वारा वर्ष 1961 में आवंटित ग्राम सानीगांव के खसरा नम्बर 332, 333 व 334 की 4.42 हैक्टर वन भूमि को कम करते हुये)	एफ. 2 (4) राज/8/85 दिनांक 5–3–1986
5.	ओरिया–अचलगढ–जवाई– देलवाड़ा	एफ. 7 (134) रा.क. /67 दिनांक 20–6–1967
6.	सांलगांव–तोरणा–हेटमजी– आरणा	एफ. 7 (10) रेव /क/65 दिनांक 15–2–1965
7.	फूलाबाई का खेड़ा	17379/एफ. 15 (217) रे.ए./58 दिनांक 6/17–10–1958
8.	आमथला	एफ. 2 (10) राज./8/78 मार्च 1978

9

उक्त गठित वन्यजीव अभयारण्य, आबूपर्वत की सीमाओं का विवरण निम्न वर्णित अनुसूची– प्रथम अनुसार है:–

अनुसूची–प्रथम

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 26A(1)(b) में घोषित वन्यजीव अभयारण्य आबूपर्वत के क्षेत्र का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	नाम जिला	वन खण्ड का नाम	सीमाएं	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6
01.	वन्यजीव अभयारण्य आबूपर्वत	सिरोही	1. आबू नम्बर 1 2. चण्डेला–आम्बाबेरी 3. फतेहपुरा–सकोडा 4. आबूलीज (नगरपालिका माउंट आबू द्वारा वर्ष 1961 में आवंटित ग्राम सानीगांव के खसरा नम्बर 332, 333 व 334 की 4.42 हैक्टर वन भूमि को कम करते हुये) 5. ओरिया–अचलगढ़–जवाई–देलवाड़ा 6. सालगांव–तोरणा–हेटमजी–आरणा	उत्तर में	आरक्षित वन खण्ड ओरिया–अचलगढ–जवाई–देलवाड़ा की उत्तरी सीमा से होते हुए, जो रक्षित वन खण्ड आबू नं.– 3 एवं रक्षित वन खण्ड आबू नं.– 2 की सीमा से मिलती है। जिसके समीपस्थ गांव देलवाड़ा, अचलगढ़, जवाई व ओरिया है।
				पूर्व में	आरक्षित वन खण्ड ओरिया–अचलगढ़–जवाई–देलवाड़ा की उत्तरी–पूर्वी सीमा से आरक्षित वन खण्ड सालगांव–तोरणा–हेटमजी–आरणा की पूर्वी– उत्तरी सीमा से आबू नं.– 1 की उत्तरी–पूर्वी सीमा से होते हुए, जो रक्षित वन खण्ड आबू नं.– 2 की सीमा से मिलती है। जिसके समीपस्थ गांव देलवाडा, अचलगढ, जवाई, ओरिया, सालगांव, तोरणा, हेटमजी, दूढाई, गोवा गांव, आरणा, दानवाव आदि है।
				दक्षिण में	आरक्षित वन खण्ड आबू नं.– 1 की पूर्वी–दक्षिणी सीमा से आरक्षित वन खण्ड चण्डेला– आम्बाबेरी के कम्पार्टमेन्ट नं. 3 की पूर्वी–दक्षिणी–पश्चिमी व आंशिक उत्तरी सीमा से आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 की दक्षिणी–पश्चिमी सीमा से आरक्षित वन खण्ड चण्डेला– आम्बाबेरी के कम्पार्टमेन्ट नं. 2 व 1 की पूर्वी–दक्षिणी– पश्चिमी सीमा से आरक्षित वन खण्ड आबू नं.– 1 की पश्चिमी सीमा से आरक्षित वन खण्ड फतेहपुरा–सकोडा की पूर्वी–दक्षिणी सीमा से होते हुए, जो रक्षित वन खण्ड आबू नं.– 3 की सीमा से मिलती है।

1	2	3	4	5	6
					जिसके समीपस्थ गांव उमरनी, गणका, तलवारा नाका, झामर, भाखियारजी, बगेरी , आम्बाबेरी, वाजना, सकोडा, फतेहपुरा आदि है।
				पश्चिम में	आरक्षित वन खण्ड फतेहपुरा–सकोडा की दक्षिणी–पश्चिमी सीमा से आरक्षित वन खण्ड आबू नं. – 1 की पश्चिमी सीमा से आरक्षित वन खण्ड आबूलीज की पश्चिमी सीमा से आरक्षित वन खण्ड ओरिया–अचलगढ –जवाई–देलवाडा की पश्चिमी–उत्तरी सीमा से होते हुए, जो रक्षित वन खण्ड आबू नं. 3 की पूर्वी सीमा से मिलती है। जिसके समीपस्थ गांव सकोडा, फतेहपुरा, सानीगांव, मॉचगांव, गोवागांव आबू शहर , देलवाडा आदि है।

इसके अतिरिक्त उक्त आबूपर्वत वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र में सम्मिलित निम्न आरक्षित वन खण्डों की सीमाएं उक्त अनुसूची में वर्णित सीमाओं के निरन्तर न होकर पृथक है। इन आरक्षित वन खण्डों का सीमा विवरण इस प्रकार है:–

02.	वन्यजीव अभयारण्य आबूपर्वत	सिरोही	7 फूलाबाई का खेडा	उत्तर	वन खण्ड फूलाबाई खेडा की उत्तरी (बाहरी) सीमा जो इसी वन खण्ड की पूर्वी सीमा से मिलती है जिसके समीपस्थ गांव फूलाबाई का खेडा है।
				पूर्व	वन खण्ड फूलाबाई खेडा की पूर्वी (बाहरी) सीमा जो इसी वन खण्ड की दक्षिणी सीमा से मिलती है जिसके समीपस्थ गांव फूलाबाई का खेडा है।
				दक्षिण	वन खण्ड फूलाबाई खेडा की दक्षिणी (बाहरी) सीमा जो इसी वन खण्ड की पश्चिमी सीमा से मिलती है जिसके समीपस्थ गांव फूलाबाई का खेडा है।
				पश्चिम	वन खण्ड फूलाबाई खेडा की पश्चिमी सीमा जो रक्षित वन खण्ड आबू नं.– 2 की पूर्वी सीमा से मिलती है जिसके समीपस्थ गांव फूलाबाई का खेडा है।
03.	वन्यजीव अभयारण्य आबूपर्वत	सिरोही	8 आमथला	उत्तर	वन खण्ड आमथला की उत्तरी (बाहरी) सीमा जो इसी वन खण्ड की पूर्वी सीमा से मिलती है जिसके समीपस्थ गांव आमथला है।

1	2	3	4	5	6
				पूर्व	वन खण्ड आमथला की पूर्वी (बाहरी) सीमा जो इसी वन खण्ड की दक्षिणी सीमा से मिलती है जिसके समीपस्थ गांव आमथला है।
				दक्षिण	वन खण्ड आमथला की दक्षिणी (बाहरी) सीमा जो इसी वन खण्ड की पश्चिमी सीमा से मिलती है जिसके समीपस्थ गांव आमथला है।
				पश्चिम	वन खण्ड आमथला की पश्चिमी सीमा जो रक्षित वन खण्ड आबू नं.– 2 की पूर्वी सीमा से मिलती है जिसके समीपस्थ गांव आमथला है।

तथा

राज्य सरकार उक्त आरक्षित वन खण्डों की सीमाओं से सटे हुए निम्न रक्षित वन खण्डों (P.F.) की वन भूमि को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा–18 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त आबूपर्वत वन्यजीव अभयारण्य के अभिन्न भाग के रूप में संरक्षित करने के अपने आशय की घोषणा करती है:–

क्र.सं.	नाम रक्षित वन खण्ड (P.F.)	रक्षित वन खण्ड घोषित करने की विज्ञप्ति संख्या एवम् दिनांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
1	आबू नं. 3	एफ. 1 (6) (6) राज. 8/72 दिनांक 21–04–1973	14729.00
2	आबू नं. 2	एफ. 7 (286) रा.क./61 दिनांक 15–01–1962	7484.24
		योग:–	22213.24

आबूपर्वत वन्य जीव अभयारण्य में सम्मिलित किये जाने वाले उक्त रक्षित वन खण्डों का सीमा विवरण निम्न वर्णित अनुसूची–द्वितीय के अनुसार है:–

अनुसूची–द्वितीय

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 में प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य आबूपर्वत के क्षेत्र का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	नाम जिला	वन खण्ड का नाम	सीमाएं	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6
01.	वन्यजीव अभयारण्य आबूपर्वत	सिरोही	1. आबू नं.3 2. आबू नं.2	उत्तर में	रक्षित वन खण्ड आबू नं.– 3 की उत्तरी सीमा से होते हुए, जो रक्षित वन खण्ड आबू नं.–2 की उत्तरी–पूर्वी सीमा से मिलती है। जिसके समीपस्थ गांव उडवारिया, तेलपी खेडा, उबेरा, ईसरा, कैर, माण्डवाडा आदि है।
				पूर्व में	रक्षित वन खण्ड आबू नं.– 2 की पूर्वी सीमा से आरक्षित वन खण्ड फूलाबाई का खेडा की पश्चिमी सीमा से रक्षित वन खण्ड आबू नं0– 2 की पूर्वी सीमा से आरक्षित वन खण्ड आमथला की

1	2	3	4	5	6
					पश्चिमी सीमा से रक्षित वन खण्ड आबू नं.– 2 की पूर्वी–दक्षिणी सीमा से होते हुए, जो आरक्षित वन खण्ड आबू नं.– 1 की पूर्वी–उत्तरी सीमा से मिलती है। जिसके समीपस्थ गांव नितोडा, नानरवाडा, खाखरवाडा, काछोली, फूलाबाई का खेडा, पंचदेवल, नागपुरा, अचपुरा, क्यारा, आमथला, दानवाव आदि है।
				दक्षिण में	रक्षित वन खण्ड आबू नं.– 2 की दक्षिणी–पश्चिमी सीमा से रक्षित वन खण्ड आबू नं.– 3 की दक्षिणी–पूर्वी–दक्षिणी सीमा से मिलती है , जो आरक्षित वन खण्ड आबू नं. 1 की पूर्वी–उत्तरी सीमा , आरक्षित वन खण्ड सालगांव–तोरणा–हेटमजी–आरणा की उत्तरी–पूर्वी सीमा, आरक्षित वन खण्ड ओरिया–अचलगढ–जवाई–देलवाडा की पूर्वी–उत्तरी–पश्चिमी सीमा , आरक्षित वन खण्ड आबूलीज की पश्चिमी सीमा , आरक्षित वन खण्ड आबू नं.– 1 की पश्चिमी सीमा एंव आरक्षित वन खण्ड फतेहपुरा–सकोडा की पश्चिमी–दक्षिणी सीमा से मिलती है। जिसके समीपस्थ गांव दानवाव, आरणा, हेटमजी, तोरणा, ढूंढाई, सालगांव, गोवागांव, अचलगढ, ओरिया, जवाई, भोरगांव, उतरज, देलवाडा,आबू शहर, सानीगांव ,माचगांव, सकोडा, फतेहपुरा, वाजना आदि है।
				पश्चिम में	रक्षित वन खण्ड आबू नं.– 3 की दक्षिणी–पश्चिमी–उत्तरी सीमा से होते हुए , जो पुनः इसी वन खण्ड की उत्तरी सीमा से मिलती है। जिसके समीपस्थ गांव क्यारा, थल, डाक, अनादरा, सांगरली खेडा, टोकरा, बुरारीखेडा, उडवारिया आदि है।

इस प्रकार उक्त वन्यजीव अभयारण्य आबूपर्वत का कुल क्षेत्रफल निम्नानुसार होगाः–

आरक्षित वन भूमि (R.F.) – 10396.736 हैक्टर
रक्षित वन भूमि (P.F.) – 22213.240 हैक्टर
कुल क्षेत्रफल – 32609.976 हैक्टर

उपरोक्त विवरण मे वर्णित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी क्षेत्र इस अभयारण्य में सम्मिलित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
प्रेम सिंह मेहरा,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।